प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 20 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-39781/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-29-08-2022) दिनांक-30-12-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी (बन्दी संख्या-16842) पुत्र श्री रामस्वरूप, मो0 करीमुउल्ला पट्टी, कस्बा व थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। वादी के पुत्र अभिषेक का अपहरण के बदले 10 लाख रूपये फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 27.11.2003 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कैची, आरी, ब्लेड से मारकर अभिषेक की हत्या कर दी तथा शव को दो टुकडे कर गढ्ढे में अलग-अलग दबा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-184/2004, भा0द0वि की धारा-364, 302/34, 201 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया तथा 2-एसटी नं0-81/2004, भा0द0वि की धारा-3(1) गै० एक्ट, थाना-नई मण्डी, सहारनपुर में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05/विशेष न्यायाधीश, (गैं0 एक्ट), मुजफ्फरनगर द्वारा 10 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक-14.01.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 01 माह, 16 दिन तथा 22 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, वादी पक्ष में बन्दी के विरूद्ध काफी रोष व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी के पुत्र अभिषेक का अपहरण के बदले 10 लाख रूपये फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 27.11.2003 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कैची, आरी, ब्लेड से मारकर अभिषेक की हत्या कर शव को दो टुकडे कर गढढे में अलग-अलग दबा देने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 विन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी (बन्दी संख्या-16842) पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव

संख्या-147/2025/2324(1)/22-2-2024 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-147/2025/2324/22-2-2024-17(289)/2018

दिनांक:20 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी (बन्दी संख्या-16842) पुत्र श्री रामस्वरूप, मो0 करीमुउल्ला पट्टी, कस्बा व थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। वादी के पुत्र अभिषेक का अपहरण के बदले 10 लाख रूपये फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 27.11.2003 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कैची, आरी, ब्लेड से मारकर अभिषेक की हत्या कर दी तथा शव को दो टुकडे कर गढ्ढे में अलग-अलग दबा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-184/2004, भा0द0वि की धारा-364, 302/34, 201 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया तथा 2-एसटी नं0-81/2004, भा0द0वि की धारा-3(1) गै० एक्ट, थाना-नई मण्डी, सहारनपुर में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05/विशेष न्यायाधीश, (गैं0 एक्ट), मुजफ्फरनगर द्वारा 10 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक-14.01.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 01 माह, 16 दिन तथा 22 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, वादी पक्ष में बन्दी के विरूद्ध काफी रोष व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी के पुत्र अभिषेक का अपहरण के बदले 10 लाख रूपये फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 27.11.2003 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कैची, आरी, ब्लेड से मारकर अभिषेक की हत्या कर शव को दो टुकडे कर गढढे में अलग-अलग दबा देने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 विन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।